

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 350/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/.....455

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 04, सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली-110075 में स्थित व कार्यरत है जिसकी एक सर्किल शस्त्र ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक डी-8205 बीकानेर राजस्थान में स्थित एवं कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र गहलोत है।		1- Smt. Chandrakala Soni w/o Omprakash Soni Address-1 Paltan Gate, Kuchaman City, District Nagaur Rajasthan 341508 Address-2 Near BR Khokar School, Kuchaman City District Nagaur Rajasthan 341508 2- Mr. Deendayal Soni s/o Omprakash Soni Address- Paltan Gate, Kuchaman City, Tehsil Nawa District Nagaur Rajasthan 341509

आदेश

दिनांक: 15-11-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को जरिये खाता संख्या 755800NC00000727 (Term Loan Housing) अधीन ऋण रुपये 4,00,000/- (अक्षरे चार लाख रुपये मात्र) एवं खाता संख्या 755800990000333 (Over Draft) अधीन ऋण रुपये 6,00,000/- (अक्षरे छः लाख रुपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल ऋण रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रुपये) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- श्रीमति चंद्रकला सोनी पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पति जो कि पट्टा नं. 649/2004 दिनांक 03.09.2004, वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, तहसील नावां जिला नागौर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्गफीट है। जिसकी चारो दिशाएं- उत्तर में-आम रास्ता 20 फीट, दक्षिण में-श्रीमति अनिता सोनी का क्रयशुदा प्लॉट, पूर्व में-श्री राधेश्याम शर्मा का प्लॉट, पश्चिम में-श्रीमति नर्मदा देवी स्वामी का प्लॉट, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता संख्या 755800NC00000727 में बकाया रुपये 3,86,157/- (अक्षरे तीन लाख छियासी हजार एक सौ सतावन रुपये मात्र) एवं खाता संख्या 755800990000333 में बकाया रुपये 6,20,792/- (अक्षरे छः लाख बीस हजार सात सौ बयानवे रुपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल बकाया रुपये 10,06,949/- (अक्षरे दस लाख छः हजार नौ सौ उनचास रुपये)



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

दिनांक 31.05.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 13.06.2022 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण खाता संख्या 755800NC00000727 में बकाया रूपये 3,86,157/- (अक्षरे तीन लाख छियासी हजार एक सौ सतावन रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 755800990000333 में बकाया रूपये 6,20,792/- (अक्षरे छः लाख बीस हजार सात सौ बयानवे रूपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल बकाया रूपये 10,06,949/- (अक्षरे दस लाख छः हजार नौ सौ उनचास रूपये) दिनांक 31.05.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्रीमति चंद्रकला सोनी पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 649/2004 दिनांक 03.09.2004, वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, तहसील नावां जिला नागौर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्गफीट है। जिसकी चारो दिशाएं- उत्तर में-आम रास्ता 20 फीट, दक्षिण में-श्रीमति अनिता सोनी का क्रयशुदा प्लॉट, पूर्व में-श्री राधेश्याम शर्मा का प्लॉट, पश्चिम में-श्रीमति नर्मदा देवी स्वामी का प्लॉट, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता संख्या 755800NC00000727 (Term Loan Housing) अधीन ऋण रूपये 4,00,000/- (अक्षरे चार लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 755800990000333 (Over Draft) अधीन ऋण रूपये 6,00,000/- (अक्षरे छः लाख रूपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल ऋण रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख रूपये) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्रीमति चंद्रकला सोनी पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 649/2004 दिनांक 03.09.2004, वार्ड नं. 19, कुचामन सिटी, तहसील नावां जिला नागौर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्गफीट है। जिसकी चारों दिशाएं- उत्तर में-आम रास्ता 20 फीट, दक्षिण में-श्रीमति अनिता सोनी का क्रयशुदा प्लॉट, पूर्व में-श्री राधेश्याम शर्मा का प्लॉट, पश्चिम में-श्रीमति नर्मदा देवी स्वामी का प्लॉट, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि-सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट
नागौर